DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
SEWA KUTIR COMPLEX, KINGSWAY CAMP, DELHI-110009.

F.No.76(275)/PMMVY/DWCD/Vidhan Sabha/2019-20/54 Dated: 22/08/19

To

The Deputy Secretary (Question branch)
Delhi Vidhan Sabha Sectt.
Old Sectt. Delhi-110054.

Sub:- Reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 171 (asked by Shri Sukhbir Singh Dalal)

Sir,

Please find enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No.171 dt 26/08/2019 along with PDF file (asked by Shri Sukhbir Singh Dalal) for further necessary action at your end.

This issues with the prior approval of competent authority.

Encl.: As Above

Yours Faithfully

S.C.Vats
Joint Director (FAS)

(S. C. VATS)
Joint Director (DOP)
Deptt. of Women & Chid Development
Govt. of Delhi
K.G. Marg, New Delhi-110001

Scanned by CamScanner

अतारांकित प्रश्न संख्या- 171

दिनांक - 26-8-2019

प्रश्नकर्ता का नाम- श्री सुखबीर सिंह दलाल

क्या उपमुख्यमंत्री-: मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि/

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कोई सिलाई केंद्र या कौशल केंद्र खोलने की योजना बना रही है	वर्तमान में विभाग द्वारा मुन्द्का विधान सभा क्षेत्र में सिलाई केंद्र या कौशल केंद्र खोले जाने सम्बंधित योजना प्रक्रियाधीन नहीं है।
(ख) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में विधवा पुत्री विवाह हेतु सहायता संबंधी कितने आवेदन पत्र लंबित हैं और इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं	मुंडका विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 26 आवेदन पत्र विधवा पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लंबित हैं, जो कि सुपरवाइजर, आई.सी.डी.एस. द्वारा सामाजिक जाँच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं
(ग) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अनाथो के लिए कोई योजना हैं , योजना से सम्बधित पूरा अपेक्षित दस्तावेज और पूरा विविरण बताइए	विभाग किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत अनाथ बच्चों के देखरेख और संरक्षण करता है। इस प्रकार के बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाते हैं और ये समितिया बच्चों के मामले में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी है।
(घ) दिल्ली में महिलाओ और बच्चो के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गयी कार्यवायी का विवरण दें,	दिल्ली में महिलाओ और बच्चो के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्मलिखित योजनाये संचालित की जाती है – 1. विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिला के लिए पेंशन योजना के तहत 237404 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है 2. गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए सहायता 3336 को दी गयी है । 3. लाडली योजना - 1017209 लाभार्थी 4. प्रधानमंत्री मात्रू वन्दना योजना 111557 लाभार्थी 5. पोषण अभियान एवं 6. आईसीडीएस के माध्यम से पैकेज के रूप में 6 सेवाएं प्रदान की जा रही है :– 1 पूरक पोषाहार कार्यक्रम(एसएनपी) 2 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 3 टीकाकरण 4 स्वास्थ्य जाँच 5 रेफरल सेवाएं 6 गैर औपचारिक पूर्व–स्कूल शिक्षा
(ङ) अवैध एस.पी.ए. और इनमे कार्य कर रहे व्यक्तियों / लोगो के विरुद्ध महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण क्या है	प्रश्न स्पष्ट नहीं है इसीलिए उत्तर देने में असमर्थ हैं।
(च) दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा पति के मृत्यु का प्रमाणपत्र जारी किये	आवेदन कर्ता का वर्तमान का 5 साल का दिल्ली का स्थाई निवासी जरूरी है। पति के मृत्यु का प्रमाणपत्र अन्य राज्य का

27/08/19

DD (FAS)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner

जाने की स्थिति मे क्या वह विधवा पेंशन पाने की हक़दार है	हो सकता है।
(छ) यही हाँ तो अपेक्षित दस्तावेजो के बारे में बताये	अपेक्षित दस्तावेजो हैं- 1. मृत्यु प्रमाणपत्र, 2. शमशान घाट की पर्ची
(ज) यदि कोई महिला 5 वर्षो से अधिक अवधि के लिए दिल्ली में रह रही है, लेकिन इसके पास 5 वर्षो से कम अवधि का प्रमाण है और दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा उसकी पति का मृत्यु पत्र जारी किए गया है तो क्या वह विधवा पेंशन पाने के योग्य है	आवेदन कर्ता का वर्तमान का न्यूनतम 5 साल का दिल्ली का स्थाई निवासी का प्रमाण जरूरी है।
(झ) यही हाँ तो उन दस्तावेजो के बारे में बताइए जिनको वह दिल्ली में पिछले 5 वर्षो के आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग कर सकती है, और	विधवा पेंशन योजना हेतु जारी निम्नलिखित दस्तावेजो में से कोई एक निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया जायेगा- 1. राशन कार्ड 2. वोटर कार्ड 3. पासपोर्ट 4. ड्राइविंग लिसेंस 5. दिल्ली नगर निगम / पंजीयक - जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 6. दिल्ली नगर निगम / पंजीयक - जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 7. बिमा पालिसी कागजात 8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड 9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख 10. बिजली का बिल 11. पानी का बिल 12. टेलीफोन का बिल 13. गैस कनेक्शन के रशीद 14. बैंक की पासबुक 15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र 16. विद्यार्थी प्रमाण पत्र 17. सार्वजानिक / प्राइवेट सेक्टर कंपनी / स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड 18. संपति दस्तावेज 19. कोई अन्य प्रलेख जो दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष के निवास दर्शाता हो ।
(ञ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विधायक, पार्षद और पडोसियों की आवासीय प्रमाण पत्र संबंधी घोषणा पत्र, ऐसे आवेदन के लिए वैध होगा	योजना के अंतर्गत विधायक और पार्षद की कोई भूमिका नही हैं। पडोसियों की आवासीय प्रमाण पत्र योजना के नियमो के अनुसार संलग्न करने पर ही वैध होगा

22/08/19

DD (FAS)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner